वित्तीय एवं कर साक्षरता सेमिनार में माननीय राज्यपाल महोदय का उद्‌बोधन

(दिनांक 03 सितम्बर, 2024)

जय हिन्द!

वित्तीय एवं कर साक्षरता सेमिनार में आपके बीच आकर मुझे अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। वित्तीय और कर संबंधित हम सभी के ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से यह सेमिनार आयोजित किया गया है, जो आज के समय की एक प्रमुख आवश्यकता है।

वित्तीय साक्षरता केवल व्यक्तिगत समृद्धि के लिए ही नहीं, बल्कि समग्र आर्थिक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि समाज को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए नागरिकों का वित्तीय और कर संबंधी समझ और ज्ञान से संपन्न होना जरूरी है।

हमारे देश में अभी भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं, जिन्हें वित्तीय प्रबंधन, निवेश, बचत, और कराधान की जानकारी का अभाव है। एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में लगभग 76 प्रतिशत वयस्कों को वित्तीय साक्षरता की बुनियादी समझ नहीं है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। इस कारण वे अपनी आय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन नहीं कर पाते और न ही वे अपने भविष्य के लिए उचित योजना बना पाते हैं।

निवेश, बचत, और ऋण के संबंध में सही निर्णय लेने की क्षमता ही वित्तीय साक्षरता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को ऋण लेने और उसकी दोबारा भुगतान की शर्तों की समझ नहीं है, तो वह संभावित रूप से एक ऋण जाल में फंस सकता है। इसी प्रकार, निवेश के अवसरों की जानकारी का अभाव होने से लोग अपने धन को सुरक्षित और उत्पादक रूप से नहीं बढ़ा पाते।

वित्तीय साक्षरता के साथ–साथ कर साक्षरता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक अपने कर दायित्वों को समझे और उनका पालन करे। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में केवल 4 प्रतिशत से कम लोग ही आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। कराधान केवल सरकार के लिए राजस्व संग्रह का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने का भी एक साधन है। यह राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। करों के माध्यम से ही सरकार सामाजिक कल्याण योजनाओं, बुनियादी ढांचे के विकास, और अन्य आवश्यक सेवाओं को वित्तपोषित करती है।

आज, डिजिटल इंडिया के युग में, डिजिटल वित्तीय सेवाओं का महत्व भी बढ़ गया है। यह खुशी की बात है कि भारत में 2014 के बाद से 53 करोड़ से अधिक जन–धन खाते खोले गए हैं, जिससे गरीब और वंचित वर्गों तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हुई है।

लेकिन इसके साथ ही, साइबर सुरक्षा और डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के लिए नागरिकों को डिजिटल वित्तीय साक्षरता की भी आवश्यकता है। वित्तीय और कर साक्षरता व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी से बचने में मदद करती है। इससे व्यक्ति जालसाजी और अनचाही वित्तीय योजनाओं से सुरक्षित रहता है।

भारत सरकार भी इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री जन–धन योजना, डिजिटल इंडिया पहल, और वित्तीय समावेशन जैसी योजनाओं का उद्देश्य नागरिकों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है। लेकिन इन योजनाओं का पूरा लाभ तब तक नहीं उठाया जा सकता जब तक हम अपनी वित्तीय और कर साक्षरता को बढ़ावा नहीं देते।

हम सभी का यह दायित्व है कि हम स्वयं वित्तीय और कर साक्षरता को अपनाएं और साथ ही अपने परिवार, मित्रों और समाज में इसे प्रोत्साहित करें। आज का यह सेमिनार इसी उद्देश्य से आयोजित किया गया है।

मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें और देश के विकास में अपना योगदान दें। कर का समय पर भुगतान और वित्तीय साक्षरता को अपनाकर हम अपने देश को एक मजबूत और समृद्ध भविष्य की ओर ले जा सकते हैं।

आपकी वित्तीय सुरक्षा आपके हाथ में है। उपयुक्त बचत योजनाएं, सही बैंकिंग सेवाएं, सक्षम ऋण प्रबंधन, और धोखाधड़ी से सुरक्षा का पालन करके आप एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।

निश्चित ही विषय विशेषज्ञों द्वारा दिए गए टिप्स आपके जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने में सहायक होंगे।

मैं आशा करता हूँ कि इस सेमिनार के माध्यम से आप सभी को वित्तीय और कर साक्षरता के विभिन्न पहलुओं पर मूल्यवान जानकारी प्राप्त हुई होगी, जो न केवल आपके व्यक्तिगत विकास में सहायक होगी, बल्कि समाज के व्यापक हित में भी उपयोगी सिद्ध होगी।

अंत में, मैं इस आयोजन में पधारे विशेषज्ञों और प्रतिभागियों का धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस सेमिनार से लाभान्वित होंगे।

जय हिन्द!